(3)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	लक्ष्मी परिहार बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 30 / 2023	
23-01-2023	अपीलार्थी लक्ष्मी परिहार, आर.टी.आई.एवं समाजिक कार्यकरता, निवासी बेरा बेरिया, रामपुरा भाटियान तहसील तिंवरी व जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.11.2022 में (1) दिनांक 31.08.2022 को मैंने जनसुनवाई में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को दो अलग अलग शिकायत लेटर दिया था। एक सन् 2017 की विज्ञप्ति के अनुसार ग्राम साथिन पद की गड़बड़ी के बारे में तथा दूसरा महिलाओं के संबंधित भ्रष्टाचार डॉक्टर कानून की आड़ में महिलाओं के साथ बहुत अन्याय अत्याचार कर रहे है जिस पर रोक लगाकर न्याय दिलाने बाबत् दोनों शिकायतों पर की गई कार्यवाही की जांच रिपोर्ट व अन्य बिन्दु , से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 45 दिनांक 12.01..2023 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थीया लक्ष्मी परिहार के प्रार्थना पत्र पर उनके हस्ताक्षर नहीं थे, जिसके अभाव में प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव नहीं था। प्रार्थीया द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) कि तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय भा.पोस्टल ऑर्डर इस कार्यालय के पत्र संख्या 2486 दिनांक 22.12.22 द्वारा मूल ही प्रार्थीया को लौटाकर आवदेन पत्र पर हस्ताक्षकर कर मय आवेदन शुल्क के इस कार्यालय को भिजवाने हेतु लिखा गया था, परन्तु प्रार्थीया के स्तर पर वांछित कार्यवाही अपेक्षित होने से अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट अनुसार उनके कार्यालय को अहस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र प्राप्त होने से उसका प्रार्थना पत्र पुनः प्रेषित कर दिया गया अतः कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है अतः तथ्यात्मक रिपोर्ट से सहमत होते हुए अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	